फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बाबुलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 मु0नं0 152/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/01/25	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1773, 1774, 1775, 1777, 1778 लगायत 1780, 1786 लगायत 1792, 1845, 963, 964, 970, 977 कुल किता 20 वाके ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा के खाता संख्या नया 75 पुराना 70 में प्रार्थी का नाम रामोतार पुत्र गंगाधर हि0 1/16 जाति बैरवा सा0देह खातेदार दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल है जबकि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय सहवन से बचपन के बोलते नाम रामोतार के नाम से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में भी नाम बाबूलाल पुत्र गंगाधर है। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल है। तथा पत्रावल के साथ प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाणीकरण भी पेश किया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह अंकित किया है कि बाबूलाल एवं रामोतार एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामोतार के स्थान पर बाबूलाल दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखायां जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	